शोध मंथन Vol. XIII No.II Apr.-June 2022 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Impact Factor 8.783 (SJIF)

किसान आंदोलन का समाजशास्त्रीय अध्ययन

प्राप्तिः 04.06.2022
स्वीकृतः 10.06.2022

52

सोनल गंगवार
शोधार्थी
ईमेलः *sonalgangwar01@gmail.com*

डॉ० सुमन
एसोसिएट प्रोफेसर
रघुनाथ गर्ल्स परास्नातक डिग्री कॉलेज
मेरठ
ईमेलः *sumanram.meerut@gmail.com*

सारांश

किसी भी प्रकार का असंतोष आंदोलनों को जन्म देता है कृषक आंदोलन भी कृषि की आवश्यकताओं से संबंधित आंदोलन है एवं सरकार की कृषि नीतियों को लेकर समय–समय पर किए गए आंदोलन है जिसमें किसान एवं अन्य समूह भी सहभागी होते हैं आंदोलनों के कारणों में आय के स्रोत का असमान वितरण, चक्रीय बेकारी, आसु संगत आसामान्य सामाजिक व्यवस्था, ऋणग्रस्तता, गरीबी इत्यादि हैं। प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से किसान आंदोलनों के कारणों को एवं भारतीय ग्रामीण समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का ऐतिहासिक एवं वर्तमान भारत के किसान आंदोलनों की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है तथा प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से किसान आंदोलनों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया गया है ।

मुख्य बिन्दु

ऋणग्रस्तता, चक्रीय बेकारी, आय का असामान्य वितरण।

परिचय

कृषक आंदोलन का इतिहास बहुत पुराना रहा है और विश्व के सभी भागों में अलग–अलग समय पर किसानों ने कृषि नीति में परिवर्तन करने के लिए आंदोलन किए हैं। जिससे उनकी स्थिति में सुधार हो। वर्तमान दौर में भारत में कृषक आंदोलन तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण कृषकों की आर्थिक हालत दिन प्रति–दिन कमजोर होना है और वे कर्ज के पारम्परिक जाल में फंसते जा रहे हैं क्योंकि कृषि की लागत बढ़ रही है इसके विपरीत आमदनी कम होती जा रही है।

भारतीय कृषकों ने औपनिवेशिक ताकतों के द्वारा हो रहे अत्याचार और शोषण के खिलाफ अपने अधिकारों की लड़ाई को आरंभ किया। देश में आजादी के पहले और आजादी के बाद कृषकों के समर्थन में नील की खेती करने वाले किसानों का चंपारण सत्याग्रह, पाबना विद्रोह, तेभागा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और बारदोली आंदोलन आदि ऐसे आंदोलन हुए हैं जिसने किसानों के अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया इन आंदोलनों का नेतृत्व महात्मा गांधी, वल्लभभाई पटेल जैसे कई नेताओं ने किया।

वर्ष 2017 में देश में छोटे–बड़े सैकड़ों आंदोलन कृषि नीति बदलवाने के लिए हुए हैं सरकार को कृषि के संबंध में बोलने पर मजबूर किया जिसमें महाराष्ट्र का गांव बंद हो, राजस्थान में पानी व बिजली के सवालों पर आंदोलन, हरियाणा में 2015 में नरमें (कपास) की फसल के खराब मुआवजे की मांग का आंदोलन, तमिलनाडु के किसानों का संसद मार्ग पर धरना आदि हुए हैं। 5 जून 2020 को भारत सरकार ने 3 नए कृषि कानून पारित किए थे उनमें पहला कृषि कानून– कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक 2020, दूसरा कृषि कानून किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन, तीसरा आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम था। इन कानूनों से किसानों को लगा कि यह कानून चुनिंदा फसलों पर सरकार द्वारा **'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP)** को समाप्त कर देगा और उन्हें कारपोरेट्स के तहत छोड़ दिया जाएगा। विरोध – प्रदर्शन शुरू हुआ हजारों किसानों ने **'दिल्ली चलो अभियान'** के हिस्से के रूप में कानून को पूरी तरह से निरस्त करने की मांग की जिसका परिणाम यह हुआ कि तीनों नए कृषि कानून सरकार को वापस लेने पड़े।

समस्या

भारत में किसान आंदोलनों का इतिहास पुराना है पंजाब, हरियाणा, बंगाल, दक्षिण और पश्चिमी भारत में पिछले कई वर्षों से विरोध प्रदर्शन होते आए हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनाने में कृषि मुख्य भूमिका निभाती थी लेकिन अंग्रेजों ने भारत के कृषि अर्थव्यवस्था को बदलकर जमींदारी प्रथा लागू कर दी जिससे वास्तविक किसान निरंतर गरीब होते चले गए और जमींदार तथा साहूकारों के पास जमीन का बड़ा हिस्सा होने की वजह से वह धनवान होते चले गए जिससे कृषि पर देश की आत्मनिर्भरता नष्ट होती चली गई। 19वीं शताब्दी में बंगाल का संथाल एवं नील विद्रोह तथा मद्रास एवं पंजाब में किसान आंदोलन इसके प्रमुख उदाहरण हैं भारतीय किसान आंदोलनों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी। अप्रैल 1917 में नील के किसानों द्वारा बिहार के चंपारण जिले में गांधी जी द्वारा चलाया गया किसान आंदोलन देश का पहला संगठित किसान आंदोलन था। अंग्रेजी शासन ने किसानों के संघर्षों को दंगों और न्याय तथा कानून से संबंधित प्रशासनिक समस्या के रूप में देखा था जिसके कारण किसान आंदोलन कई केरल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में उभरे जहां राष्ट्रीय आंदोलन की नीव पड़ चुकी थी।

देश की आजादी की लड़ाई में किसानों की एक बड़ी भूमिका रही थी। चंपारण आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ एक खुला संघर्ष था। स्वतंत्रता के पश्चात जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ किसानों को भू–स्वामित्व का अधिकार मिला हरित क्रांति कार्यक्रम भी चलाया गया और परिणामतः खाद्यान्न उत्पादकता में वृद्धि हुई किंतु इस हरित क्रांति का विशेष लाभ संपन्न किसानों तक ही सीमित रहा लघु एवं सीमांत किसानों की स्थिति में कोई आशनुरूप सुधार नहीं हुआ। आजादी के बाद भी कई राज्यों में किसानों को भू–स्वामित्व नहीं मिला जिसके विरूद्ध बंगाल, बिहार एवं आंध्र प्रदेश में नक्सलवादी आंदोलन प्रारंभ हुए। उत्तर प्रदेश के किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत ने किसानों की दशा में बेहतर सुधार लाने के लिए एक आंदोलन चलाया था और सरकार को बताया कि किसानों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। टिकैत के आंदोलन ने किसानों के मन में कमोबेश यह भावना भर दी कि वे भी संगठित होकर अपनी आर्थिक उन्नति कर सकते हैं।

किसान उन्हें कहा जाता है; जो खेती का काम करते हैं, इन्हें किसान, कृषक और खेतिहर के नाम से भी जाना जाता है, भारत में लगभग 70 प्रतिशत आबादी किसानों की है किसान खुद की

जमीन का मालिक हो सकता है और एक मजदूर के रुप में दूसरों की जमीन पर काम भी करता है। **रेडफील्ड** ने कृषक शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया है, "कृषक वे छोटे उत्पादनकर्ता है जो केवल उपयोग के लिए ही उत्पादन करते हैं"। राष्ट्रीय किसान नीति में कृषक शब्द के अंतर्गत आते हैं भूमिहीन कृषि श्रमिक, लघु सीमांत, मध्यम, अर्द्मध्यम, वृहद, बटाईदार, काश्तकार तथा अन्य वे किसान जो पशुपालन करते हैं।

भारत में किसानों की विभिन्न समस्याएं हैं यहां किसानों की समस्याओं की शुरुआत फसल की बुवाई से होती है आने वाले महीनों में उत्पादन कैसा रहेगा यह मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है किसानों का उत्पादन केवल सूखे और बाढ़ से ही प्रभावित नहीं होता है वरन् बेमौसम बारिश भी खड़ी फसल को नष्ट कर देती है इन समस्याओं को सरकारों द्वारा अनदेखी किए जाने के कारण किसान आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं किसानों की कई मूल समस्याएं हैं उत्पादन का उचित मूल्य ना मिल पाना, किसानों की फसल के लिए अच्छे बीज उपलब्ध ना हो पाना, सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं होना, मशीनीकरण का अभाव, पूंजी की कमी आदि समस्याएं हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है लेकिन देश के किसानों की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण देश में किसान आंदोलन समय–समय पर होते आये हैं।

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 61.5 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण भारत में निवास करता है और कृषि पर निर्भर है आर्थिक सर्वेक्षण 2019–20 के अनुसार भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अन्य क्षेत्रों की तुलना में रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर अधिक निर्भर है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, 2021–22 के मुताबिक कृषि एवं संबंध क्षेत्रों का जीबीए और चालू मूल्यों पर देश के कुल जीवीए में उसकी भागीदारी वर्ष 2015–16 में 17.7 प्रतिशत, 2016–17 में 18.0 प्रतिशत, 2017–18 में 18.0 प्रतिशत, 2018– 19 में 17.1 प्रतिशत, 2019–20 में 17.8 प्रतिशत है। कोविड–19 या कोरोना वायरस महामारी के संकट के दौरान भी कई अन्य आर्थिक क्षेत्रों में केवल कृषि ही एक ऐसा जीवंत क्षेत्र बन कर उभरा जिसमें सकारात्मक वृद्धि हुई है। कृषि जनगणना (2015–16) के अनुसार, भारत में लघु एवं सीमांत किसानों की संख्या 12.563 करोड़ है। देश में 35 प्रतिशत किसानों के पास 0.4 हेक्टेयर से कम जमीन है, जबकि 69 प्रतिशत किसानों के पास 1 एवं 87 प्रतिशत किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। 0.4 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसान सालाना 8000 रुपये कमाते हैं, जबकि 1 और 2 हेक्टेयर के बीच जमीन वाले किसान सालाना औसतन 50000 रुपये कमाते हैं। देश में लघु और सीमांत किसानों की न केवल आय कम है, बल्कि इनके लिए कृषि एक जोखिम भरा कार्य भी है। एनएसएसओ की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 50 से अधिक कृषक परिवार ऋणग्रस्तता की स्थिति में हैं।

निष्कर्ष

भारत में किसान आंदोलन पुराने समय से चलते आ रहे हैं। किसानों द्वारा अपने हक को लेकर, कृषि नीति में परिवर्तन करने के लिए विरोध प्रदर्शन औपनिवेशिक सरकार से लेकर वर्तमान सरकार तक किए जाते रहे हैं। किसान आंदोलन आज का नहीं बल्कि वर्षों से चला आ रहा है किसान देश की शान है इसके बावजूद आए दिन किसानों को किसी न किसी परेशानी से जूझना पड़ता है, कृषि में नई–नई तकनीकियों का आम किसान लाभ नहीं उठा पाते है, बीजों एवं उर्वरकों

के दाम दिन–प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं जबकि किसानों को उनकी उपज का पूरा दाम भी उन्हें नहीं मिल पाता है। देश में किसान आंदोलन का प्रमुख कारण भूमि का असमान वितरण, कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं मिलना, भण्डारण की अपर्याप्त व्यवस्था, आदि समस्याओं की मांग को लेकर आंदोलन करने पड़ रहे हैं। भारत में अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों ने स्वयं को सशक्त करने तथा उन्होंने अपने खो रहे अस्तित्व को जीवित रखने के लिए आंदोलनों के जरिए अपनी दबी हुई आवाज को बुलंद किया है लेकिन आजादी के इतने वर्षों पश्चात भी आज तक उनके हालातों में कोई अधिक परिवर्तन नहीं आया है समस्त विश्व को अन्न प्रदान करने वाला किसान स्वयं अन्न के एक–एक दाने को मोहताज है। कानून बनाने वाले नेताओं को यह समझना जरूरी है कि अन्नदाता ही देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जिनके बिना हम सब के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है।

सुझाव

स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय किसानों की दशा में केवल 19–20 का ही अंतर दिखाई देता है। समृद्ध किसानों के गिनती मात्र उंगलियों पर की जा सकती है आज भारतीय किसान परावलंबी हो गया है। भारत में कृषि हमेशा से ही पिछड़ी हुई रही है सरकारों को जितना ध्यान किसानों और खेती पर देना चाहिए उतना वह नहीं देती, किसानों की उपेक्षा करना सही नहीं है वह राष्ट्र के अन्नदाता है कृषि को एक उद्योग का दर्जा दिया जाए उनको बीजों के लिए, उर्वरकों के लिए, खेतों की जुताई के लिए और उत्पादन को बेचने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। खेती की लागत बढ़ती जा रही है छोटे किसानों का खेती करना असम्भव सा हो गया है उन्हें दूसरो के यहां मजदूरी करना पड़ रहा है। भारतीय किसान देश की रीढ़ हैं उनको उनकी उपज का उचित दाम मिलना चाहिए उन्हें अच्छे बीज खाद उपलब्ध कराए जाएं, फसल के नष्ट होने पर मुआवजा मिलना चाहिए, कम कीमत पर ऋण मुहैया कराया जाए, फसलों की सिंचाई की उचित व्यवस्था की जाए, कृषि कार्य का प्रशिक्षण दिया जाए जिससे किसानों को कुशल एवं समृद्ध बनाया जा सके।

संदर्भ

1. आहूजा, राम. (2016). सामाजिक समस्याएं. तृतीय संस्करण. रावत पब्लिकेशनः
2. मिश्रा, के.के. (2017). विकास का समाजशास्त्र. भवदीय प्रकाशनः श्रंगार हाट, अयोध्या फैजाबाद (उत्तर प्रदेश)।
3. (2021). कुरूक्षेत्र पत्रिका. जून. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालयः नई दिल्ली।
4. (2020). योजना पत्रिका. नवंबर. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालयः नई दिल्ली।
5. Dosi,S.L, Jain,P C (2004) Rural Sociology, Rawat Publication, Jaipur and New Delhi.
6. Redfeild, Robert (1956) Pesant Society and Culture, University of Chicago Press.
7. https://www.hastakshep.com/the-tradition-of-peasant-movements-and-a brief-history -of-peasantmovements/
8. https://www.jagran.com/blogs/politics/how-vallabhbhai-patel-became-sardar
9. www.hi.m.wikipedia.org